

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक: प.16(4)गृह-9/2018

जयपुर, दिनांक:- 12 SEP 2018

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार यह समझती है कि जिला जयपुर, ग्राम गड्डूडा (लसाडिया), तहसील फागी में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमि0 की कोटा जोबनेर पाईपलाईन के स्टेशन एस-06 संस्थान को जिसके क्षेत्र का विवरण नीचे वर्णित है, से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या इसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा।

इसलिए अब राज्य सरकार एतद्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (घ) सपठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल (I) दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम गड्डूडा (लसाडिया), तहसील फागी में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमि0 की कोटा जोबनेर पाईपलाईन के स्टेशन एस-06 को उक्त अधिनियम के तहत सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करती है।

क्षेत्र का विवरण

क्र.स.	नाम तहसील	ग्राम	भूमि ख.नं.	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	फागी	गड्डूडा (लसाडिया)	136/3	1.00 बीघा(.0252928 हैक्ट.)	139/0.15बीघा (.1897 है.)	136/1/5.05 बीघा (1.03279है.)	136/2/0.31 बीघा (.1395 है.), 136/1/5.05 बीघा	45/5. (1.4922 है) 46/29 बीघा 87.3349है.)

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुबेसिंह यादव)

शासन विशिष्ट सचिव
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. निदेशक, लेखन सामग्री एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर दिनांक..... के असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सी.डी.।
5. सहायक मैनेजर जयपुर टर्मिनल भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन ग्राम लसाडिया तहसील फागी जिला जयपुर।
6. उप शासन सचिव गृह ग्रुप-6 विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

12 SEP 2018

शासन विशिष्ट सचिव

गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग